मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन भोपाल- 462004

:: अनापत्ति प्रमाण-पत्र ::

भोपाल, दिनांक - 12-2003

क्रमांक एफ 73-26 /20-2/2003: राज्य शासन - ~~[illegible]~~ आनन्दनगर भोपाल - - की निर्धारित शर्तों के अधीन सत्र 2004- 2005 से बी.एड. पी.टी.ई./~~[illegible]~~ अध्यापक पाठ्यक्रम प्रारंभ करने के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करता है।

2/- यह पाठ्यक्रम प्रारंभ करने के पूर्व राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् पश्चिम क्षेत्रीय समिति भोपाल से मान्यता प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

3/- मान्यताप्राप्त मान्यता के उपरांत एक वर्षीय बी.एड./~~[illegible]~~ पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रति बी.एड./~~[illegible]~~ शिक्षार्थियों के आधार पर प्रति बी.एड./~~[illegible]~~ परीक्षा में प्राप्त पदों के आधार पर दिया जायेगा। यदि शासन द्वारा प्रवेश दिया जाता है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी प्रबंधकीय समिति महाविद्यालय की होगी एवं उसकी मान्यता समाप्त कर दी जायेगी।

4/- अनापत्ति प्रमाण-पत्र इस आधार पर दिया जाता है कि इस कोर्स के लिए राज्य शासन से कोई अनुदान एवं सहायता नहीं दी जायेगी।

5/- निर्धारित शर्तों की पूर्ति न कर सकने की स्थिति में अनापत्ति प्रमाण-पत्र स्वतः निरस्त हो जायेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

अवर सचिव,
मध्य शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक 73-26 /20-2/2003 भोपाल, दिनांक ~~20-12-2003~~ 30-12-03

प्रतिलिपि:- डॉ. आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र, म.प्र. भोपाल
क्षेत्रीय संचालक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् क्षेत्रीय समिति, संस्थान स्टाफ भोपाल

प्रतिलिपि संस्था के संबंधित अध्यक्ष/सचिव हेतुनार्थ- ~~[illegible]~~ आनन्दनगर, भोपाल

अवर सचिव
मध्य शासन, स्कूल शिक्षा विभाग